

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./विविध-1/2019/

दिनांक:-

--आदेश--

निम्नलिखित नर्सिंगकर्मी जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	हेमलता टी.	नर्सिंग ट्यूटर	बीकानेर	11.01.1959	31.01.2019
2.	खुशी खां मेवाती	नर्स प्रथम	अलवर	15.02.1959	28.02.2019
3.	वलसल्ला के.के.	नर्स प्रथम	जोधपुर	02.02.1959	28.02.2019
4.	कैलाश चन्द मीना	नर्स प्रथम	धौलपुर	19.02.1959	28.02.2019
5.	प्रताप सिंह वर्मा	पीएचएन	धौलपुर	03.03.1959	31.03.2019
6.	लिल्ली कूटटी यु.डी.	नर्स प्रथम	जोधपुर	16.03.1959	31.03.2019
7.	एलियम्मा के. एम.	नर्स प्रथम	बांसवाड़ा	20.04.1959	30.04.2019
8.	उगम सिंह गहलोत	नर्स प्रथम	जोधपुर	06.06.1959	30.06.2019
9.	राजेन्द्र कुमार बोहरा	नर्सिंग ट्यूटर	जोधपुर	01.07.1959	30.06.2019
10.	रामपाल बलाई	नर्स प्रथम	झुंझुनू	08.07.1959	31.07.1959
11.	ईशाराराम चौधरी	नर्स प्रथम	बाड़मेर	10.07.1959	31.07.2019
12.	शशि कला मुथा	नर्स प्रथम	जोधपुर	06.08.1959	31.08.2019
13.	राकेश पुरोहित	नर्स प्रथम	जोधपुर	10.09.1959	30.09.2019
14.	प्रमोद कुमार पुरोहित	नर्स प्रथम	जोधपुर	27.09.1959	30.09.2019
15.	सत्य प्रकाश जोशी	नर्स प्रथम	जोधपुर	29.09.1959	30.09.2019
16.	दीना चौहान	नर्स प्रथम	जोधपुर	08.09.1959	30.09.2019
17.	मंजु लता परिहार	नर्स प्रथम	जोधपुर	10.09.1959	30.09.2019
18.	मांगी देवी	नर्स प्रथम	जोधपुर	12.09.1959	30.09.2019
19.	दिनेशवरी शर्मा	नर्स प्रथम	जयपुर	18.09.1959	30.09.2019
20.	रंजना चौधरी	नर्स प्रथम	जोधपुर	07.10.1959	31.10.2019
21.	लीलावती शर्मा	नर्स प्रथम	जोधपुर	25.12.1959	31.12.2019
22.	अरुण बाला	नर्स प्रथम	जोधपुर	23.12.1959	31.12.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कर्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:-17-01-2019

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./विविध-1/2019/17

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय।
4. निदेशक, (क.रा.बी. योजना), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
8. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करे।
12. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर